न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद/विविध प्रकरण संख्या 39/2000

प्रार्थी/वादीः— **बनाम** **अप्रार्थी/प्रतिवादीगणः—**

1. तहसीलदार (भुमिधारी), पाली
1. श्री जगदीश चन्द्र पुत्र बस्तीराम ओसवाल निवासी इन्द्रा कोलोनी पाली

उपस्थितिः—

1. श्री केसरसिंह, तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार)
2. श्री राधा कृष्ण बोहरा, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण

वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955

—:निर्णयः— **दिनांक 09—01—2020**

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पाली नगर की सीमा मे खसरा नम्बर 1505 कुल रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा किस्म बी दोयम भुमि स्थित है। जिसका खातेदार अप्रार्थी है। उक्त खसरा नम्बर 1505 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा सरहद पाली की कृषि भुमि का उपयोग केवल कृषि प्रयोजनार्थ ही राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानो के अंतर्गत खातेदार कर सकता है। इस भूमि का अकृषि उपयोग पूर्वतः वर्जित है। अप्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का खुलम खुला उल्लंघन करके 7 बीघा 10 बिस्वा रकबा मे अकृषि प्रयोजनार्थ निर्माण किया जाकर मौके पर अकृषि प्रयोजनार्थ फैक्ट्री निर्मित कर दी है। इस आराजी द्वारा अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत वर्जित है। तथा कृषि भुमि पर ऐसा उपयोग Detrimental है। कृषि भूमि का अकृषि हानिप्रद कार्य करने व उपयोग किये जाने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लघन है। अप्रार्थी उक्त भूमि खसरा नम्बर 1505 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी दोयम सरहद पाली नगर तहसील पाली से बेदखल किया जावें। खर्चा प्रार्थी को दिलाया जावें। एवं यदि अप्रार्थी इस बदेखली को Contest करे तो इस प्रार्थना पत्र को वाद मे परिणित किया जावें तथा नियमानुसार डिक्री सादिर की जावे तथा नियमानुसार डिक्री सादिर की जावें।

2. अप्रार्थी को जरिये नोटिस निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया।

3. उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 28.02.1994 को वाद मे परिणित किया जाकर वाद की तरह सुनवाई करने हेतु आदेश दिया गया।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

4. प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित फैक्ट्री स्थित होने का कथन सही होने से स्वीकार है। वादी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि फैक्ट्री का निर्माण कब किया गया है। वादी द्वारा जमीन का पड़ौस नहीं बताया गया है जबकि कानूनन दावे मे जमीन के पड़ौस आदि बताना आवश्यक है। इस कारण दावा काबिल कारिज के है। कृषि भुमि का उपयोग राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ही नहीं बल्कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्थान भु राजस्व अधिनियम एवं इनके अंतर्गत बने नियमो जैसे राजस्थान भु राजस्व (कनवरसन ऑफ एग्री क्लचर लैण्ड) एवं राजस्थान रंगाई छपाई, उधोग नियमिति करण निमय के तहत किया जा सकता है। वादी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि किस की किस तरह की फैक्ट्री बनाई गई है और किस तरह का निर्माण कार्य करवाया है। और खसरा नम्बर 1505 के कितने रकबे पर बनाई गई है। अर्जीदावे का कथन पूर्णतया गलत है कि खसरा नम्बर 1505 की साढे सात बीघा भुमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग हो रहा है। कृषि भुमि का अकृषि उपयोग लेना गैरकानूनी नहीं है। विशेषतया जबकि जिलाधीश के समक्ष की गई नियमन कार्यवाही मे माननीय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर द्वारा नियमन के आदेश दिये जा चुके हैं एवं कई व्यक्तियों की जमीन का फैक्ट्री के लिए नियमन हो चुका है। इस तरह दावा वेगयु इन कम्पलीट व फेक्टयुस है जिससे दावा काबिल खारिज है। प्रार्थना पत्र को दावा मे परिणित करने की इस्तदुआ नही की जा सकती है एवं प्रार्थना पत्र को दावे मे परिवर्तन करने की काई दादरसी नहीं ह। एवं न ही वादी द्वारा फाफिक नियमों के अनुसार प्रार्थना पत्र को वाद के रूप मे संशाधित करवाया है जिस कारण दावा काबिल खारिज है। अर्जीदावा है यही नहीं बताया गया है कि बिनाय दावा कब पैदा हुआ है इस तरह कॉज ऑफ एक्शन नही बताये जाने के आधार पर दावा काबिल खारिज है। जमीन मुतदावीया का भुमिधारी राजस्थान सरकार है न कि तहसीलदार, पाली जिस कारण तहसीलदार, पाली द्वारा भुमिधारी के रूप मे किया गया दावा विदाउट ऑथरिटी ऑफ दॉ लॉ है। जिस कारण वादी का वाद काबिल खारिज है। प्रतिवादी संख्या 1 विवादग्रस्त खसरे की भुमि के शेष रकबे पर अभी तक खेती करता है आज भी प्रतिवादी संख्या 1 की वहा पर फसल खड़ी है। इस तरह प्रतिवादी आज भी कृषक हैं। वादग्रस्त खसरे की भुमि पर फैक्ट्री का निर्माण दिनांक 1.12.73 के पहले का है। यानि फैक्ट्री का निर्माण करीब 26 वर्ष से भी अधिक समय का है इस तरह से यह दावा कानून की मंशा अनसुार म्याद बाहर है और चलने योग्य नहीं है अतः काबिल खारिज है। अर्जीदावा मे यह नहीं बताया है कि दावा म्याद के अंदर कैसे है। इस कारण भी दावा काबिल खारिज है। धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा करने का अधिकार भुमिधारी को है इस पर कोर्ट फीस देय है दावा मे यह नहीं बताया कि वादी कोर्टफीस से किस प्रकार छुट का अधिकारी है। भुमिधारी होने के नाते कोर्टफीस से छुट का अधिकारी नहीं होता है। जिस कारण कोर्टफीस के अभाव मे दावा काबिल खारिज है। वादी द्वारा दादरसी गलत रूप से बताई गई है। वादी द्वारा खसरा नम्बर 1505 के कितने

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

रकबसे से किस जगह से वादी प्रतिवादीगण को बेदखल करना चाहता है यह नहीं बताया गया हैं। जिस कारण वादी का वाद काबिल खारिज है। राजस्व अपील अधिकारी द्वितिय जोधपुर द्वारा प्रतिवादी द्वारा जिलाधीश के समक्ष 2 बीघा भुमि की कृषि से इण्डस्ट्री मे परिवर्तन करने की विवादग्रस्त आराजी की भुमि नियमन किये जाने के आदेश वादी को दिये है। जिस कारण वाद वादी काबिल खारिज है। राज्य सरकार रंगीन कपड़ो की छपाई की फैक्ट्रीया के नियमन हेतु बनाये गये नियमा के तहत प्रतिवादी द्वारा आवेदन किये जाने से उक्त नियमों के अनुसार वादी को विवादग्रस्त भुमि पर स्थित फैक्ट्री को हटाने का अधिकार नहीं होने से कारण वादी का वाद काबिल खारिज है। वादी द्वारा इससे पुर्व श्रीमान के समक्ष उक्त भुमि के संबंध मे धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे के तहत प्रतिवादी के विरूद्ध कार्यवाही की गई थी जो सरकार बनाम जगदीशचन्द्र मुकदमा संख्या 16/78 के द्वारा दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 04.11.1982 को निर्णित हुआ था जिस कारण वादी उक्त वाद क निर्णय से पाबन्द होने के कारण एवं रेसजुडीकेटा के सिद्धान्त पर वादी पर वाद काबिल खारिज है।

5. बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

6. सरकारी पैरोकार तहसलीदार पाली ने बहस के द्वौरान निवेदन किया कि ग्राम पाली II के खसरा नम्बर 1505 कुल रकबा 7.10 बीघा मे से खातेदार जगदीशचन्द्र द्वारा 2 बीघा मे अकृषि निर्माण किया जाकर फैक्ट्री संचालित की गई थी। वर्तमान मे उक्त क्षेत्र नगर विकास न्यास के क्षैत्राधिकार मे होने से 90 बी के तहत खसरा नम्बर 1505/1 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा गैर मुमकीन आबादी नगर परिषद पाली के नाम दर्ज हो चुकी है एवं शेष खसरा नम्बर 1505 बारानी दोयम प्रकाशचन्द्र पुत्र जगदीशचन्द्र कौम ओसवाल सा. पाली के नाम दर्ज है। वर्तमान मे अप्रार्थी जगदीशचन्द्र के नाम से उक्त खरे मे कोई भूमि नहीं है।

7. बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम पाली II के खसरा नम्बर 1505 कुल रकबा 7.10 बीघा मे से खातेदार जगदीशचन्द्र द्वारा 2 बीघा वर्ष 2013 के नोटिफिकेशन अनुसार पाली शहर में नगर विकास न्यास स्थापित हो चुकी है ऐसी स्थिती में उक्त भूमि पर कार्यवाही के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार नगर विकास न्यास पाली का हो जाता है। अतः इस संबंध मे इस न्यायालय द्वारा आगे कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः क्षैत्राधिकार से बाहर हो जाने कारण अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 खारीज किया जाकर नगर विकास न्यास, पाली को सूचित किया जावें।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार के बाहर पाये जाने से तहसीलदार

सहायक कलक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

पाली का प्रार्थना पत्र/वाद खारिज किया जाता है। डिक्री परचा मुर्तिब हो। पत्रावली फ़ैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय की प्रति पत्र के साथ सचिव, नगर विकास न्यास, पाली को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावे।

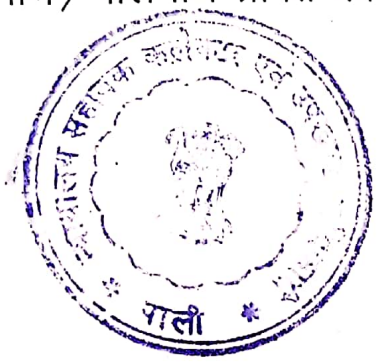

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक 09-01-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' -1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उप जिला कलेक्टर, पाली

इजलास– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 39 सन् 2000

प्रार्थी / वादीः– **बनाम** **अप्रार्थी / प्रतिवादीगणः–**

1. तहसीलदार (भुमिधारी), पाली
1. श्री जगदीश चन्द्र पुत्र बस्तीराम ओसवाल निवासी इन्द्रा कोलोनी पाली

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री केसर सिंह तहसीलदार पाली, विद्वान अभिभाषक वादी बहाजरी मिनजानिब मुद्दई व श्री राधा कृष्ण बोहरा, मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार कर क्षेत्राधिकार बाहर होने से डिक्री किये जाने योग्य नहीं पाये जाने के कारण खारिज किया जाता है।

नीज.....शून्य..... मुबलिग .....शून्य.... बाबत.....शून्य.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....शून्य.....फीसदी आज की तारीख से वसूलयानी तक .....शून्य..... को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ०१ माह ०1 सन् 2020 को जारी की गई।

मुहर

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीनामा	–	–	स्टाम्प वकालतनामा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प हाजरी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर	–	–
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर	–	–
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफरिक	–	–
मुतफरिक	–	–	–	–	–
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर जो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.02.17 11:22:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: